



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022-236023
CG-DL-E-25052022-236023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]
No. 368]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISHTHA 3, 1944

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

सा.का.नि. 389(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि (संशोधन) नियम, 2022 हैं।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2016 में, नियम 5 के उपनियम (1), खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री –उपाध्यक्ष पदेन” ।

[फा. सं. 2/3(1)2021-पी एंड जी/पॉलिसी/ई]

शैलेश कुमार सिंह, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 1032 (अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात संख्यांक 29 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2022

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Fund Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Micro, Small and Medium Enterprises Fund (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in Official Gazette.

2. In the Micro, Small and Medium Enterprises Fund Rules, 2016, after clause (a) of sub-rule (1) of rule 5, the following clause shall be inserted, namely:-

“(a i) Minister of State in the Ministry of the Micro, Small and Medium Enterprises-Vice Chairperson ex officio”.

[F. No. 2/3(1)/2021-P & G/Policy/E]

SHAILESH KUMAR SINGH, Addl. Secy. and Development Commissioner (MSME)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1032 (E), dated the 28th October, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 29 (E), dated the 19th January, 2022.